

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65

No. 110]

DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

[N.C.T.D. No. 65

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जून, 2019

सं. फा. 23(488)परि.वि./ARU/2010/452/1042.—इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उप-धारा (1) के खंड (घ) के सम्बन्ध में, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, अर्थात्—

दिल्ली के ऑटोरिक्षा के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा—

(क) ऑटोरिक्षा

प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 25

(i) किराया

रुपये (मीटर डाउन करके) तथा

(जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा

उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के

मांग पर ऑटोरिक्षा उपलब्ध कराने वाले केंद्र के लिए

लिए 9.50 रुपये

0.50 रुपये के प्रभार सहित)

(ii) रात्रि प्रभार

किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(iii) प्रतीक्षा प्रभार -

प्रतीक्षा शुल्क रु. 0.75 प्रति मिनट हर मिनट के लिए लागू होगा (पहले की तरह न्यूनतम 15 मिनट की कोई सीमा नहीं जब वाहन स्थिर हो या ट्रैफिक में अटक जाए या बेहद धीमी गति से चले (10 मिनट में 1 किमी से कम कवर करे)।

(iv) सामान प्रभार -

7.50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा!

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अजय कुमार सिनंदी, उप आयुक्त (ऑटोरिक्षा इकाई)

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th June, 2019

No. F. 23(488)/Tpt/ARU/2010/452/1042.— In suppression of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and having regard to clause (d) of the said sub section (1), following directions are hereby issued to the State Transport Authority Delhi, namely:—

The fares chargeable by the operators of Auto Rickshaws in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows:—

- | | |
|--|--|
| a. Fare (including Rupees 0.50 charges for Global Positioning System (GPS)/ General Packet Radio Service (GPRS)/ Control Room) | Rs. 25/- for first fall of 1.5 Km (upon downing the meter) and thereafter Rs. 9.50 per km for every additional kilometre. |
| b. Night Charges | 25% of the fare (11.00 P.M. to 5.00 A.M) |
| c. Waiting Charges | Waiting charges at the rate of Rs. 0.75 per minute shall be applicable for every minute (no limit of minimum 15 minutes as earlier when the vehicle is stationary or stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km covered in 10 minutes). |
| d. Luggage Charges | Rs.7.50 shall be charged as extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not chare any extra amount for a shopping bag or a small attaché/suitcase. |

This issues with the approval of Minister of Transport, Government of NCT of Delhi.

AJAY KUMAR SINANDI, Dy. Commissioner (ARU)